

2022 को पेश हो।



11.04.2022:—पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। वादी व उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी व उसके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने कारण वादपत्र वादी अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
एवं उपायुक्त अधिकारी
लुम्बिनी नगर

Web Copy - Not Official

